

धर्मशाला-176215

29 मई, 2021

कार्यालय आदेश

COVID-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं. 40-3/ 2020-DM-I(A) दिनांक 27.05.2021 तथा राजस्व विभाग - आपदा प्रबंधन सैल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आदेश सं. Rev.(DMC)(C) 20-2/2021-COVID-19-III दिनांक 28.05.2021 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य में दिनांक 31.05.2021 से 'कोरोना कर्फ्यू' में दी गई छूट की अनुपालना एवं कार्यालय आदेश फाइल समसंख्या 2418-33 दिनांक 06.05.2021 के क्रम में माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के सामान्य व अकादमिक प्रशासन के सुगम संचालन हेतु निम्नलिखित आदेश जारी किये हैं:-

- i. उप कुलसचिव एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारीगण नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।
- ii. सहायक कुलसचिव एवं समकक्ष अथवा इससे निम्न स्तर के समस्त अधिकारी वास्तविक संख्या का 50% प्रतिशत ही नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे । संबंधित कार्यालय प्रमुख कार्य की आवश्यकता के आधार पर उपस्थिति की दर को प्रशासनिक आधार पर विनियमित (regulate) कर सकते हैं । इस संबंध में संबंधित नियंत्रक अधिकारी रोस्टर तैयार करेंगे जिससे कि रोस्टर के अनुसार 50% शिक्षकेतर स्टाफ को कार्यालय में बुलाया जा सके ।
- iii. विश्वविद्यालय के जिन विभागों / कार्यालयों में कर्मचारियों की कुल संख्या 04 अथवा उससे कम है ऐसे विभाग / कार्यालयों में तैनात कर्मचारी शत-प्रतिशत क्षमता के साथ प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होंगे ।
- iv. वे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जो रोस्टर के अनुसार कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे, वह कार्यालय समय के दौरान अपने मुख्यालय स्थित निवास स्थान से कार्य करने हेतु दूरभाष एवं अन्य संचार माध्यमों से उपलब्ध रहेंगे ।
- v. विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / निदेशक / चेयर प्रोफेसर सामान्य कार्यदिवसों की भांति संबंधित मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति देते रहेंगे जिससे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व अकादमिक कार्य अनवरत रूप से संचालित हो सकें । संबंधित कार्यालय प्रमुख यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी शासकीय कार्य उपेक्षित (Unattended) न रहे ।
- vi. कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय आने से तब तक छूट रहेगी जब तक कि उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर घोषित नहीं किया जाता है ।
- vii. दिव्यांग एवं गर्भवती महिला कर्मियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट होगी परंतु, वह आगामी आदेशों तक घर से कार्य करते रहेंगे ।
- viii. कार्यालय आने वाले समस्त कर्मिगण COVID-19 कोरोना महामारी के संबंध में भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे जिसमें फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाये रखना, सैनेटाइजर का प्रयोग करना तथा समय-समय पर साबुन और पानी के साथ हाथ धोना इत्यादि शामिल रहेगा ।
- ix. कार्यस्थल की साफ-सफाई, सैनेटाइटाइजेशन एवं विशेष रूप से अक्सर स्पर्श किये जाने वाले स्थानों का उचित सौनिइटेसन सुनिश्चित किया जाये ।
- x. संबंधित कार्यालय प्रमुख सामाजिक दूरी को बनाये रखने के उद्देश्य से कार्यालय समय में परिवर्तन कर सकते हैं ।

- xi. यदि कोई कर्मिगण तय किये गये रोस्टर के अनुसार ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से नियमानुसार अवकाश प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
 - xii. विश्वविद्यालय में समस्त प्रकार की बैठकों का आयोजन ऑनलाइन / वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाये ।
2. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व अकादमिक गतिविधियां पूर्व में जारी किये गये कार्यालय आदेश सं. 1-6/हि.प्र.के.वि./ सा.प्र./2010/ खण्ड-XIV/ 2148-63 दिनांक 21.04.2021 के अनुसार यथावत जारी रहेंगी ।
 3. माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार उपर्युक्त वर्णित निर्देश दिनांक 31.05.2021 से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे ।



(हेम राज)

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)

पृष्ठांकन : समसंख्या

दिनांक : 29 मई, 2021

निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. मानद निदेशक, हि.प्र.के.वि., सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा ।
2. समन्वयक, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा ।
3. विभिन्न स्कूलों के सभी अधिष्ठाता, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
5. विश्वविद्यालय में स्थापित विभिन्न अध्ययन पीठों के सभी चेयर प्रोफेसरगण ।
6. वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला ।
7. परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला ।
8. विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
9. विभिन्न केन्द्रों के सभी निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
10. उप पुस्तकालय अध्यक्ष, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा ।
11. पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रो. एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय, सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा ।
12. निदेशक, कंप्यूटर सेंटर, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।
13. सिस्टम एनालिस्ट, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला- कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अद्यतन करने एवं उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
14. सहायक निदेशक(राजभाषा), हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।
15. जनसंपर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।
16. कुलपति, हि.प्र.के.वि. के निजी सचिव- कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
17. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मिगण- कृपया उपर्युक्त वर्णित निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के अनुरोध सहित ।



कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)